




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

- 1. Stamp No
- 2. Issued Date
- 3. Reference
- 4. Doc. Reference
- 5. Issued To
- 6. Name of Document
- 7. Description
- 8. Location (Prop. Hts.)
- 9. Hrs
- 10. Parts
- 11. Duty Paid By
- 12. Duty Amount(Rs.)

IN-UP0143141734655V  
 02/SEP/2024 09:15:42  
 NEWMPLAC (SV) 401501000 AZANGARH SADARH UP AZO  
 BUDH 10/01/15010000000000000000  
 PURWANCHAL SIRCHH LWS JANSI KA NYAS AZANGARH  
 Article 136  
 Fee Application  
 PURWANCHAL SIRCHH LWS JANSI KA NYAS AZANGARH  
 Fee Applicant  
 PURWANCHAL SIRCHH LWS JANSI KA NYAS AZANGARH  
 100  
 (One Hundred only)

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*



(धारा-2)

हम यहाँ हमारे द्वारा दस्तावेज़ी पूर्वाधिकार प्राप्त एवं अवैध न्याय, फाटीपट्टी पटेल नाम गरी की जगह, आजमगढ़ जिल्लाधिकार क्षेत्र में स्थित है।

- 1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित पूर्वाधिकार को लेकर आजमगढ़ जिल्लाधिकार क्षेत्र में स्थित है।
- 2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम पूर्वाधिकार प्राप्त एवं अवैध न्याय, फाटीपट्टी पटेल नाम गरी की जगह, आजमगढ़ में गाँव संख्या 24 एवं एका 0.810 हेक्टेयर भूमि है।
- 3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी काद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- 4 यह कि उपरोक्त प्लॉट पर ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाँव संख्या 24 एवं एका 0.810 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04-01-2019 द्वारा परित किया गया है।
- 5 यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- 6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों का ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के विधान के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
- 8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश परीक्षा के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
- 9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उक्त उक्त संस्था में सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अधीनस्थ किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई/आईटी आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।



- 10 यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलम रूप जमीनशासक और कार्यशासक आदि को जर्मनी कावन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
- 11 यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक सैद्धिक एवं आर्थिक स्टाफ की तैयारी को एडवोकेट/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा।
- 12 यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मनीभाति पालन करेगा। यदि संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा निम्न भया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 13 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून समत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी ही गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

  
H. S. Singh

  
H. S. Singh

